

आदेश न इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 201/2022 (धारा 14 शिक्योरिटाइजेशन)

टाटा कॅपिटल हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, एल/जी, दी गुमान फर्स्ट, आग्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थी
वित्तीय संस्था

बनाम

1. लूसी गुप्ता पुत्री श्री अशोक कुमार,

पता :- 66/5, खेतसा मित्र लेन हाउस नम्बर 24-40, गोलाबारी नियर पिरतोला सालकिया, हावडा, कलकत्ता।

एवं प्लेट नम्बर 1001, ब्लॉक एफ, दसवीं मंजिल स्थित अनुकम्पा प्लेटिना अपार्टमेंट खसरा नम्बर 254, 255/631, 401/574, 402 ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर, जयपुर।

एवं ग्राम कुमारपुर कटहारा अंचल सुल्तागंज जिला भागलपुर।

2. लक्ष्मण कुमार शाह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शाह,

पता :- 66/5, खेतसा मित्र लेन हाउस नम्बर 24-40, गोलाबारी नियर पिरतोला सालकिया, हावडा, कलकत्ता।

एवं प्लेट नम्बर 1001, ब्लॉक एफ, दसवीं मंजिल स्थित अनुकम्पा प्लेटिना अपार्टमेंट खसरा नम्बर 254, 255/631, 401/574, 402 ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर, जयपुर।

एवं बाबा क्रियेशन 71 बस्टाला स्ट्रीट तीसरी व चौथी मंजिल कोलकाता।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपरिस्थित:-

1. श्री प्रगोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.06.2022


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.03.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी लूसी शाह के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 254, 255/631, 401/574, 402 ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर स्थित प्लेट नम्बर 1001 ब्लॉक एफ, दसवीं मंजिल, अनुकम्पा प्लेटिना अपार्टमेंट क्षेत्रफल 1580.37 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल 88,32,353/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 को क्रम संख्या 37 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 88,32,353/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 44,46,242/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.01.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी लूसी शाह के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा नम्बर 254, 255/631, 401/574, 402 ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर पर स्थित प्लेट नम्बर 1001 ब्लॉक एफ, दसवीं मंजिल, अनुकम्पा प्लेटिना अपार्टमेन्ट क्षेत्रफल 1580.37 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल अक्षर हो ।

आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजनि विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर